भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं0 265*
21 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधाएं

***265. श्री मनोज तिवारीः**
डॉ. निशिकांत दुबेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों के निवासियों सहित शहरी गरीबों को आवास और बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करने में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में मलिन बस्तियों में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने और मलिन बस्तियों के विकास के लिए निधियां आबंटित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली अपनाकर, शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों के संबंध में सर्वेक्षण कराने और उनकी पहचान करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार का देश के महानगरों में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य मंत्री
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

विवरण

'स्लमों में नागरिक सुविधाएं' के संबंध में 21.12.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 265* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। नागरिक सुविधाएं प्रदान करने सहित स्लमों के विकास से संबंधित योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी (एसबीएम-यू 2.0) जैसे विभिन्न मिशनों के माध्यम से स्लमों सहित शहरी क्षेत्रों में आवास और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करने में सहायता प्रदान कर रही है।

पीएमएवाई-यू के तहत, स्लमवासियों सहित शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों के लिए आवासों के निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 04.12.2023 की स्थिति के अनुसार, पीएमएवाई-यू के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर कुल 118.63 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 113.42 लाख आवास निर्माणाधीन हैं और 78.27 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है।

एसबीएम-यू के तहत, स्लमों सहित शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) घटक के साथ-साथ आवश्यकता के आधार पर सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों (सीटी/पीटी) और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एसबीएम-यू के तहत जारी केंद्रीय शेयर निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

अमृत योजना के तहत, संपूर्ण मिशन अवधि के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए 35,990 करोड़ रू. की प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता सहित 77,640 करोड़ रू. की राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) को मंजूरी दी गई है। अब तक, जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थान और पार्क और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन हेतु अमृत परियोजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 33,913 करोड़ रू. की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अमृत के तहत जारी केंद्रीय निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, मिशन अवधि के दौरान शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के लिए अमृत 2.0 और एसबीएम 2.0 का शुभारंभ किया गया है। अमृत 2.0 के तहत, अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत 1,53,573.75 करोड़ रू. (प्रचालन एवं अनुरक्षण सहित) की 6,894 परियोजनाओं के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्य जल कार्य

योजना (एसडब्ल्यूएपी) को मंजूरी दी गई है। एसबीएम 2.0 के तहत, मिशन आवंटन 32,541.11 करोड़ रू. है, जिसमें से 1877.23 करोड़ रू. जारी किए जा चुके हैं।

(ङ): भारत की जनगणना कार्यालय देश में स्लमों सहित दशकीय आधार पर जनसंख्या की गणना करता है। आखिरी जनगणना 2011 में की गई थी, जिसके अनुसार, देशभर में 1,08,227 स्लमों में कुल 6.54 करोड़ लोग रह रहे थे। वर्तमान में, रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करके स्लम क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च): पीएमएवाई-यू, एसबीएम-यू और अमृत के अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नागरिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु स्लम क्षेत्रों सहित सभी नागरिकों को वहनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सशक्त किया जा सके। आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत, स्लमों सहित सभी पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, स्लमों सहित लोगों के आवासों के करीब मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है ताकि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी) स्थापित किए जा सकें। इसके अलावा, केंद्र सरकार स्लमों सहित सभी शहरी क्षेत्रों में सौभाग्य - प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) और उजाला योजना कार्यान्वित कर रही है।

*****

21.12.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 265* के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएमएवाई-यू के तहत पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी केंद्रीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रू. में)
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	14,174.66
2		बिहार	1,104.85
3		छत्तीसगढ़	2,142.63
4		गोवा	53.49
5		गुजरात	11,470.96
6		हरियाणा	687.23
7		हिमाचल प्रदेश	106.48
8		झारखंड	1,104.77
9		कर्नाटक	2,775.16
10		केरल	907.96
11		मध्य प्रदेश	7,866.51
12		महाराष्ट्र	11,224.56
13		ओडिशा	1,179.45
14		पंजाब	1,291.47
15		राजस्थान	2,784.97
16		तमिलनाडु	4,365.58
17		तेलंगाना	1,345.24
18		उत्तर प्रदेश	13,849.10
19		उत्तराखंड	456.67
20		पश्चिम बंगाल	3,366.74
उप-कुल (राज्य)			**82,258.48**
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरूणाचल प्रदेश	51.31
22		असम	915.77
23		मणिपुर	210.07
24		मेघालय	28.15
25		मिज़ोरम	250.58
26		नागालैंड	172.69
27		सिक्किम	3.60
28		त्रिपुरा	438.86
उप-कुल (पूर्वोत्तर राज्य)			**2,071.03**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.49
30		चंडीगढ़	15.85
31		दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	106.95
32		दिल्ली	257.52
33		जम्मू और कश्मीर	257.69

34		लद्दाख	5.95
35		लक्षद्वीप	-
36		पुडुचेरी	90.84
उप-कुल (संघ राज्य क्षेत्र)			**737.29**
कुल			**85,066.80**

21.12.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 265* के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एसबीएम-यू के तहत जारी केंद्रीय शेयर निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसबीएम-यू के तहत आवंटन (2014-2021)	एसबीएम-यू 2.0 के तहत आवंटन (2021-2026)	जारी निधि			
				2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.52	8.60	0.00	0.06	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	571.33	1,413.30	0.00	67.00	231.69	0.00
3	अरूणाचल प्रदेश	36.28	129.00	5.92	9.84	0.00	22.58
4	असम	244.30	503.50	3.34	9.10	70.40	0.00
5	बिहार	556.68	1,204.80	0.00	8.58	0.00	0.00
6	चंडीगढ़	28.02	45.20	0.00	22.64	0.50	7.80
7	छत्तीसगढ़	357.85	727.30	0.00	10.14	199.53	0.00
8	दादरा और नगर हवेली	4.13	31.20	0.00	0.18	0.00	0.00
9	दमन और दीव	2.58		0.00			
10	दिल्ली	349.75	1,192.60	0.00	193.82	36.55	235.31
11	गोवा	17.09	77.80	0.00	1.20	6.88	0.00
12	गुजरात	834.15	1,918.90	25.31	70.15	0.00	183.76
13	हरियाणा	287.08	645.70	4.83	5.58	7.88	0.00
14	हिमाचल प्रदेश	43.95	156.70	0.00	16.03	0.00	0.00
15	जम्मू और कश्मीर	200.63	429.90	0.00	27.98	0.00	89.46
16	झारखंड	258.71	519.00	2.25	2.52	53.32	0.00
17	कर्नाटक	820.96	2,245.30	0.00	216.23	77.05	0.00
18	केरल	219.99	875.10	0.00	5.64	49.69	0.00
19	लद्दाख		62.70		0.32	0.00	2.34
20	मध्य प्रदेश	920.04	2,200.20	36.45	121.14	29.07	89.17
21	महाराष्ट्र	1,677.80	3,758.50	153.61	245.22	83.75	0.00
22	मणिपुर	83.10	96.20	17.93	1.62	15.42	0.00
23	मेघालय	24.12	67.30	0.00	0.60	0.00	15.74
24	मिज़ोरम	49.02	82.50	4.48	14.83	0.00	13.46
25	नागालैंड	53.49	90.00	6.27	2.34	0.00	20.61
26	ओडिशा	372.02	821.40	22.12	185.13	0.00	120.47
27	पुडुचेरी	28.94	83.21	5.79	0.50	22.24	0.00
28	पंजाब	364.02	1,054.20	0.02	9.96	183.83	0.00
29	राजस्थान	705.46	1,765.80	0.00	47.84	76.19	0.00
30	सिक्किम	11.52	19.40	0.00	4.50	0.00	0.00

31	तमिलनाडु	1,200.50	3,296.70	21.08	224.91	384.66	0.00
32	तेलंगाना	413.74	1,067.30	129.64	62.07	349.64	0.00
33	त्रिपुरा	100.37	85.30	22.54	5.53	0.00	0.00
34	उत्तर प्रदेश	1,740.98	4,073.80	485.13	43.99	13.88	293.07
35	उत्तराखंड	112.00	343.40	22.23	71.86	0.00	0.00
36	पश्चिम बंगाल	911.34	1,449.30	0.00	223.50	0.00	0.00
कुल		**13,605.46**	**32,541.11**	**968.92**	**1,932.56**	**1,892.16**	**1,093.76**

21.12.2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 265* के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-III

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अमृत के तहत जारी केंद्रीय निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रतिबद्ध केंद्रीय सहायता	जारी केंद्रीय सहायता							
			वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		चालू वित्त वर्ष 2023-24	
			परियोजनाएं	अन्य	परियोजनाएं	अन्य	परियोजनाएं	अन्य	परियोजनाएं	अन्य
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	10.82	-	0.01	4.32	-	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	1,056.62	-	9.31	-	-	76.37	-	-	4.36
3	अरूणाचल प्रदेश	126.22	-	1.21	56.44	0.60	-	0.15	-	-
4	असम	591.42	-	6.12	179.64	-	258.83	-	-	-
5	बिहार	1,164.8	685.93	-	-	-	-	-	-	-
6	चंडीगढ़	54.09	-	-	-	-	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ़	1,009.74	415.55	17.52	-	3.89	-	-	-	-
8	दादरा और नगर हवेली	10.82	-	-	4.16	-	-	-	-	-
	दमन और दीव	18.03	-	-	-	-	-	-	-	-
9	दिल्ली	802.31	-	-	206.20	-	-	-	155.53	
10	गोवा	104.58	-	0.24	-	-	-	-	41.84	
11	गुजरात	2,069.96	-	-	73.60	0.80	-	-	300.00	13.00
12	हरियाणा	764.51	147.18	18.94	147.18	3.01	-	3.29	-	-
13	हिमाचल प्रदेश	274.07	56.73	3.82	66.71	0.31	-	-	-	-
14	जम्मू और कश्मीर	500.62	-	0.40	95.64	1.94	-	-	-	-
15	लद्दाख	79.19	-	-	-		-	0.35	-	-
16	झारखंड	566.17	109.62	0.40	109.62	2.37	-		-	-
17	कर्नाटक	2,318.79	280.50	18.74	125.93	9.14	-		-	-
18	केरल	1,161.2	399.25	-	119.62	6.26	-	0.80	-	-
19	लक्षद्वीप	3.61	0.41	-	0.41	-	-		-	-
20	मध्य प्रदेश	2,592.86	-	28.09	100.76	10.54	-	-	-	20.00
21	महाराष्ट्र	3,534.08	1,243.73	0.80	330.00	18.84	-	5.90	-	26.00
22	मणिपुर	162.28	66.07	0.30	-	0.15	-	-	-	-
23	मेघालय	72.12	-	0.57	22.69	0.28	39.42	-	-	-
24	मिज़ोरम	126.22	45.27	1.13	-	0.49	-	-	-	-
25	नागालैंड	108.19	-	2.22	43.52	0.34	-	-	30.69	-
26	ओडिशा	796.97	-	13.08	-	1.32	-	-	-	-
27	पुडुचेरी	64.91	9.19	1.99	9.19	0.27	19.66	0.46	-	-
28	पंजाब	1,204.47	121.44	0.09	623.57	6.93	-	-	204.87	

29	राजस्थान	1,541.95	586.54	16.73	-	-	-	8.53	-	1.76
30	सिक्किम	36.06	-	0.32	18.55	-	-	0.95	-	-
31	तमिलनाडु	4,756.58	278.84	23.80	1,454.55	0.80	-	3.46	600.00	-
32	तेलंगाना	832.6	350.70	9.95	-	0.80	-	2.01	-	-
33	त्रिपुरा	133.43	26.21	1.38	79.58	-	-	-	-	-
34	उत्तर प्रदेश	4,922.46	964.37	38.77	1,418.72	28.95	566.88	-	460.21	6.40
35	उत्तराखंड	533.72	113.39	-	147.02	1.08	-	0.72	-	-
36	पश्चिम बंगाल	1,929.32	245.82	15.38	675.26	-	-	-	-	-
	एनआरएससी	-	-	5.40	-	1.85	-	2.50	-	-
कुल		-	6,146.74	236.69	6,112.88	100.93	961.16	29.13	1,793.13	71.52
नोट: 'अन्य' में ए एंड ओई फंड, सुधार प्रोत्साहन, जीआईएस आधारित मास्टर प्लान, एलएपी/टीपीएस और जेएनएनयूआरएम शामिल हैं।										

****